न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 56 / 2023

अपीलांट –

खमीशा पुत्र सुरतान जाति मुसलमान निवासी सोलंकियों की बस्ती, तानुमानसिंह तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार शिव
2. सुराब पुत्र गफूर
3. रमदान पुत्र इमाम
4. शकूर पुत्र हकीम जाति मुसलमान निवासी सोलंकियों की बस्ती, तानुमानसिंह तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार गडरारोड़

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 576 दिनांक 11.12.2010 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुनील के. मेराजा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो. संख्या 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 5 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 22.07.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 576 दिनांक 11.12.2010 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा हरसानी के खेत खसरा नंबर 35, 41 रकबा 240–16 बीघा तहसील गडरारोड़., जिला बाड़मेर भूमि के खातेदारान सुराब वल्द गफूर, रमदान वल्द ईमाम, खमीशा वल्द [illegible] कौम मुसलमान निवासी सोलंकिया मौजा हरसाणी सा0 देह जिला बाड़मेर [illegible] ने दिनांक 11.12.2010 को तहसीलदार शिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के [illegible] विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन करने निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत हरसाणी द्वारा की गई एवं हल्का पटवारी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हरसाणी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 576 दिनांक 11.12.2010 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.12.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा हरसानी के खेत खसरा नंबर 35, 41 रकबा 240–16 बीघा में अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई है। उतरदाता संख्या 2 व 3 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त एवं पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजन करने इसके साथ ही पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा। जिस पर अपीलांट ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाने की सहमति दी। पटवारी हल्का ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया। अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 व 3 ने विभाजन प्रस्ताव, नक्शे व जमाबंदी पर हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान संलग्न नक्शे के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने हेतु विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया। पक्षकारान द्वारा नक्शे पर किये गये हस्ताक्षर [illegible] पटवारी ने नक्शा तैयार कर तहसीलदार शिव के समक्ष [illegible] पारित किया गया। जिसके पश्चात राजस्व रिकोर्ड में [illegible] नामान्तरकरण संख्या 1770 स्वीकृत कर बंटवाडा कर दिया गया था किन्तु उक्त [illegible]डा अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अंकन नहीं किया गया था। अपीलांट व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

काश्त एवं विधिक हक–हिस्से अनुसार के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त एवं विधिक हक–हिस्से अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि कुछ अर्सा पूर्व उतरदाता रमदान द्वारा राजस्व रिकोर्ड में गलत तरमीम से खसरा नंबर 2742/35 के रूप मे उतरी भाग में अपीलांट की भूमि को हथियाने के आशय से गलत तरमीम को सही जाहिर कर उसमें से एक बीघा भूमि का बेचान उतरदाता संख्या 4 शकूर पुत्र हकीम खान को कर दिया। जिससे भी उक्त आराजी में एक बीघा भूमि का रिकोर्डेड खातेदार बन चुका है एवं शकूर अपीलांट के कब्जे काश्त भूमि में हस्तक्षेप कर एक बीघा भूमि पर पर जबरन अवैध निर्माण करने को प्रयासरत हुआ तब अपीलांट को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा तथा अपीलाधीन आदेश की नकल मांगने पर ही उक्त विभाजन आदेश की जानकारी दिनांक 31.10.2023 को हुई। इस प्रकार प्रथम जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न कर अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।

6. रेस्पो. संख्या 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई की गई।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं उपलब्ध अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाधीन विभाजन पत्र के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा हरसानी के खेत खसरा नंबर 35, 41 रकबा 240–16 बीघा तहसील गडरारोड़., जिला बाड़मेर भूमि के खातेदारान सुराब वल्द गफूर, रमदान वल्द ईमाम, खमीशा वल्द सुरतान कौम मुसलमान निवासी ... किया मौजा हरसाणी सा0 देह जिला बाड़मेर खातेदारान ने दिनांक ... तहसीलदार शिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन करने निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत हरसाणी द्वारा की गई एवं हल्का पटवारी हरसाणी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 576 दिनांक 11.12.2010 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.12.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का अभिकथन है कि संयुक्त खातेदारी के प्रत्येक खसरे में हिस्सा अनुसार अपीलांट को भूमि विभाजन में नहीं दी गई है। इस संबंध में तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका कब्जा रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी हरसाणी द्वारा ग्राम हरसाणी. के खसरा नंबर 35, 41 रकबा 240–16 बीघा मे वास्तविक कब्जा काश्त ढाणीयां व ट्यबवेल कब्जे अनुसार नजरी नक्शा तैयार कर बताया कि आपसी सहमति बंटवाडे के अनुसार कब्जा–काश्त है। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा इस मौका फर्द में मौके एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति का उल्लेख किया हैं जबकि अपीलांट ने मौका की वस्तुस्थिति से इतर कब्जा एवं तरमीम होना उल्लेखित किया जाना प्रकट होता हैं। अपीलांट का यह कथन भी हैं कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 व 3 ने विभाजन प्रस्ताव, नक्शे व जमाबंदी पर हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान संलग्न नक्शे के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने हेतु विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार शिव द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इसकी पालना में राजस्व रिकोर्ड में दिनांक 13.01.2011 को नामान्तरकरण संख्या 1770 स्वीकृत कर बंटवाडा कर दिया गया था किन्तु उक्त बंटवाडा अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अंकन नहीं किया गया था। ऐसे में प्रथम तो सहमति विभाजन से अपीलांट एस्टोप्ड है तदुपरांत भी वर्ष 2010 में हुए विभाजन के विरूद्ध करीब 13 वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत की है जिसके विलम्ब के संबंध में कोई ठोस तथ्यात्मक एवं संतुष्टीपरक कारण प्रकट नहीं किये हैं। द्वितीय यदि बंटवाड़ा सही होना एवं उसकी पालना गलत होना मानता है तो इसके लिए तरमीम संशोधन हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिए। ऐसे में हस्तगत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाडमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:53:05 IST
Reason: SelfAttested